बनाम

नम्बर व ता...
अहकाम जो
हूक्म की ता...
में जारी हु...

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 01 सन 2011

अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**वादी**

**बनाम**

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर शाखा नोहर जरिये अध्यक्ष नन्दलाल पुत्र गोविन्दराम जाति रेगर साकिन नोहर तहसील नोहर।

**प्रतिवादीगण**

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू0अराजस्व अधिनियम – 1956 बाबत आदेश दिनांक 17.07.2017 जो अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 17. 07.2017 को अपास्त करने बाबत।

उपस्थित : श्री पेरोकार राज प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी।

**निर्णय दिनांक :–** 5.11.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 52/43 के खसरा न0 55/6 की 2.959हैक भूमि सहखातेदारी में दर्ज की गई है जिसमें 20 हिस्सा भूमि डॉ अम्बेडकर नय युवक संध नोहर के नाम से दर्ज थी जो वर्तमान में रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 44/52 में डॉ भीमराव अम्बेडकर नवयूवक सेवा समिति शाखा नोहर के नाम 20 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

डॉ अम्बेडकर नवयुवक संध नोहर के द्वारा जरिये बेयनामा दिनांक 16.05.1996 को ख्यालीराम पुत्र मोडुराम जाति रेगर साकिन नोहर से खरीद की गई थी प्रार्थी पंकज कुमार डीगवाल के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहे जाने पर राजस्व रिकार्ड की जांच की जाने पर पाया की रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के नामान्तकरण संख्या 254 निर्णीत दिनांक 19.7.2017 से श्रीमानजी के निर्णय दिनांक 17.07.2017 एवं आदेश 2457–58 दिनांक 17.07.2017 की अनुपालना में दर्ज किया गया है।

रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 52/43 में सयुक्त खाता में 20 हिस्सा भूमि डॉ अम्बेडकर नवयूवक संध तहसील शाखा नोहर के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी जो जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.1996 को ख्यालीराम पुत्र मोडुराम जाति रेगर से खरिद की गई थी एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 25.09.2001 के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुई थी।

प्रार्थी अध्यक्ष नन्दलाल शकवाल के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर डॉ भीमराव अम्बेडकर नवयुवक सेवा समिति शाखा नोहर का रजिस्ट्रेशन नही हुआ अर्थात प्रार्थना पेश होने की दिनांक एवं न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 तक प्रार्थी की संस्था का रजिस्ट्रेश नही हुआ था अर्थात जो संस्था/ समिति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को अस्तित्व में ही नही थी तो उसके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश होने से पहले दस्तावेजों का अध्यन नही किया गया था इसी प्रकार पटवारी हल्का के द्वारा भी राजस्व लोक अदालत के दौरान पूर्णरूप से जांच ना की जाकर श्रीमानजी के आदेश की पालना कर दी गई

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इसप्रकार जो संस्था अस्तित्व में ही नही थी के नाम भूमि दर्ज किये जाने से राज्यहकों को हानी होती है ना ही रजिस्टर्ड संस्था के नाम से दर्ज भूमि में किसी भी प्रकार का परिर्वतन किया जाना न्यायोचित है प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी सूचना के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही की जाकर पेरोकार राज का सुना गया।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्तों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 52/43 में सयुक्त खाता में 20 हिस्सा भूमि डॉ अम्बेडकर नवयूवक संघ तहसील शाखा नोहर के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी जो जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.1996 को ख्यालीराम पुत्र मोडुराम जाति रेगर से खरिद की गई थी एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 25.09.2001 के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुई थी। प्रार्थी अध्यक्ष नन्दलाल शकवाल के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर डॉ भीमराव अम्बेडकर नवयुवक सेवा समिति शाखा नोहर का रजिस्ट्रेशन नही हुआ अर्थात प्रार्थना पेश होने की दिनांक एवं न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 तक प्रार्थी की संस्था का रजिस्ट्रेश नही हुआ था अर्थात जो संस्था/ समिति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को अस्तित्व में ही नही थी तो उसके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश होने से पहले दस्तावेजों का अध्यन नही किया गया था इसी प्रकार पटवारी हल्का के द्वारा भी राजस्व लोक अदालत के दौरान पूर्णरूप से जांच ना की जाकर श्रीमानजी के आदेश की पालना कर दी गई इसप्रकार जो संस्था अस्तित्व में ही नही थी के नाम भूमि दर्ज किये जाने से राज्यहकों को हानी होती है ना ही रजिस्टर्ड संस्था के नाम से दर्ज भूमि में किसी भी प्रकार का परिर्वतन किया जाना न्यायोचित है प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाया जावे।

हमने पेरोकार राज को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 52/43 में सयुक्त खाता में 20 हिस्सा भूमि डॉ अम्बेडकर नवयूवक संघ तहसील शाखा नोहर के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी जो जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.1996 को ख्यालीराम पुत्र मोडुराम जाति रेगर से खरिद की गई थी अर्थात बेयनामा के आधार पर डॉ अम्बेडकर नवयूवक संघ तहसील शाखा नोहर के नाम बतौर खातेदार दर्ज था एवं संस्था का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था।

प्रार्थी नन्दलाल शकवाल जाति रेगर साकिन नोहर तहसील नोहर के एक प्रार्थना पत्र डॉ भीमराव अम्बेडकर नव यूवक समिति शाखा नोहर तहसील नोहर जरिये अध्यक्ष नन्दलाल शकवाल ने एक प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट का इस आश्य का पेश किया की संस्था का नाम परिर्वतन किया जाकर डॉ भीमराव अम्बडेकर नव यूवक सेवा समिति शाखा नोहर संशोधन किया जावे जो दिनांक 17.07.2017 को स्वीकार कर लिया गया था जो निम्न आधार पर काबिल खारिज है।

डॉ भीमराव अम्बेडकर नव यूवक समिति शाखा नोहर तहसील नोहर जरिये अध्यक्ष नन्दलाल शकवाल का प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक को उक्त सस्था का पंजीयन नही हुआ था इसके विपरित पूर्व की संस्था श्री डॉ अम्बेडकर नवयूवक संघ तहसील शाखा नोहर एक पंजीबद्व संस्था



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थी। अर्थात पंजीबद्व संस्था के स्थान पर गैरपंजीबद्व संस्था के नाम संशोधन नही किया जा सकता है।

प्रार्थी को सर्वप्रथम डॉ भीमराव अम्बेडकर नव यूवक समिति शाखा नोहर तहसील नोहर संस्था का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक था प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस आश्य का अकन भी नही किया गया अर्थात न्यायालय को गुमराह /तथ्यों को छुपाया गया है जिसका आश्य है कि प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आया है।

136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत केवल लिपिकिय त्रुटी ही संशोधन किया जा सकता है अर्थात केवल राजस्व रिकार्ड संधारण करने के समय किसी प्रकार की गलती को सशोधन किया जा सकता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट की श्रेणी में नही आता है। क्योकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों राजस्व रिकार्ड में किसी गलती को संशोधन करवाने के लिये ना होकर एक पंजीबद्व संस्था का नाम परिर्वतन करवाने के लिये है वह भी गलत व आधारहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है अर्थात प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

अतः राज्यहकों को सुरक्षित रखने की दृष्टि / प्रार्थी के क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आने के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण डॉ भीमराव अम्बेडकर नव यूवक सेवा समिति शाखा नोहर जरिये नन्दलाल शक्वाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 को अपास्त किया जाता है आदेश की पालना में रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 19.07.2017 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार नोहर को आदेश दिये जाते है कि निर्णय दिनांक 17.07.2017 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

( सैयद शाहरुन अली जैदी )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official